भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1304

14 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

फसल की कटाई के बाद हानि

1304. श्री बृजभूषण शरण सिंह:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्.गी:

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महामारी के बाद की अवधि में खाद्यान्नों के लाने ले-जाने में हुए नुकसान का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने फसल कटाई के बाद के नुकसान से निपटने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्लान स्कीम के मूल्यांकन के संबंध में कृषि मंत्रालय हेतु नाबार्ड परामर्शदात्री सेवा (एनएबीसीओएनएस) द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों को शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो आर्थिक हानि में कितनी कमी आने का अनुमान है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के ले-आने और ले-जाने में हुए नुकसान को कम करने के लिए किए गए नवीनतम उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए खाद्यान्नों की मार्गस्थ हानि (टीएल) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	भेजी गई मात्रा	हानि का %
2019-20*	409.64	0.23
2020-21*	618.74	0.24
2021-22*	646.89	0.22
2022-23 (अक्तूबर, 2022 तक)**	334.61	0.24

टिप्पणी: (*) लेखापरीक्षित आंकड़े दर्शाते हैं; (**) अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं।

.....2/-

(ख) और (ग): उक्त रिपोर्ट कृषि मशीनीकरण पर केंद्रित है, ताकि कृषि (फार्म) स्तर पर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) विशाल मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और प्रबंधन करता है और किसी भी मात्रा के नुकसान से बचने के लिए, उचित भंडारण प्रौद्योगिकी के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(घ): मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने के लिए निम्नानुसार कदम उठाए गए हैं:

- मासिक निष्पादन समीक्षा बैठक में मार्गस्थ हानियों की समीक्षा की जाती है।
- मुख्यालय/जोन/क्षेत्र/जिला स्तर पर मार्गस्थ हानियों की समीक्षा की जाती है।
- बिखरे हुए अनाज को पुनः प्राप्त करने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलिथीन शीट बिछाई जाती है।
- जवाबदेही तय करने के लिए उच्च मार्गस्थ हानियों के मामलों का संयुक्त सत्यापन। संयुक्त सत्यापन (जेवी) के लिए मार्गस्थ हानियों की निचली सीमा को दिनांक 01.10.2022 से 1% से घटाकर 0.75% और आगे 0.50% तक कम कर दिया गया है।
- मार्ग में चोरी से बचने के लिए उच्च सुरक्षा मुहर का उपयोग करके दिनांक 01.10.2022 से 3 महीनों के लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रयोग किया जा रहा है।
- रेलहेड पर मेड-अप थैलों का भी हिसाब रखा जा रहा है।
- जहां कहीं भी असामान्य/अनुचित मार्गस्थ हानि की सूचना मिलती है, दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
- लदान/उठान के समय स्वतंत्र खेप प्रमाणन दस्ते की तैनाती (आईसीसीएस)।

*****